

राहुल गाँधी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली इतिहास रचेगी: प्रदीप नरवाल

नितिन कुमार सिंह, 7.12, बागपत। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने कहा कि राहुल गाँधी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली इतिहास रचेगी। रविवार को बागपत में प्रदेश सचिव अहमद हमीद के आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। बिहार में भी चुनाव से पहले गलत तरीके से 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए हैं, इसलिए वह अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके।

उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और लोगों के वोट चोरी कर मताधिकार से लोगों को वंचित कर रही है। एसआईआर को लेकर बीएलओ पर अधिक दबाव बनाया जा रहा है। इसकी वजह से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। भाजपा को वोट चोरी करने से रोकने के लिए पार्टी विरोध कर रही है और सभी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि भाजपा का सच लोगों के सामने लाया जा सके। कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में 65 लाख वोट काटे गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 25 लाख वोट फिर से जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को होने वाली रैली में अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे।

प्रेस वार्ता के बाद देर रात शहर के मेरठ



रोड स्थित वात्स्यायन पैलेस में जनपद बागपत कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे। इसमें 14 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित %वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों पर जिलाध्यक्ष लव कश्यप से तैयारियों की जानकारी ली गयी।

जिलाध्यक्ष लव कश्यप ने समीक्षा बैठक में बताया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में बागपत जनपद से 500 से अधिक संख्या में कांग्रेसी जायेंगे। महारैली की सभी व्यवस्थाओं का भी विस्तार से दी। उन्होंने बताया कि खेकड़ा तहसील के पास मवीकलां गांव में खाना आदि की व्यवस्था राखी गयी है। जनपद के सभी वाहन मवीकलां से

महारैली के लिए मार्च करेंगे। सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां बांट कर तैयारियों की जा रही है। परिवहन, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और समन्वय प्रणाली को मजबूत पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। महारैली में शामिल होने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

प्रदेश सचिव अहमद हमीद ने कहा कि यह महारैली पार्टी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसकी तैयारियों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ेंगे। सभी बागपत जनपद कांग्रेसी एक टीम की तरह महारैली को सफल बनाने हेतु कार्य कर रहे हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष रामकुमार जी ने कहा कि दूसरी पार्टियों की तरह बागपत कांग्रेस में कुछ भी मन मुटाव नहीं है। सभी वर्तमान जिलाध्यक्ष लव कश्यप को पुराने कांग्रेसी सहयोग कर रहे और करेंगे।



किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमबीर तोमर ने कहा कि कई बस और कई छोटी गाड़िया 14 दिसम्बर की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में जाएंगी। बड़ौत शहर अध्यक्ष रामहरि ने कहा कि जितनी संख्या पार्टी कहेगी उससे ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता महारैली में जायेंगे। जिला उपाध्यक्ष रूबी कश्यप ने बताया कि जनपद से काफी संख्या में महिलाएं भी महारैली में जाएंगी। रटौल नगर अध्यक्ष निजारत तोमर ने कहा कि रटौल नगर से दो बस कई छोटी गाड़िया महारैली में जाएंगी। बैठक में स्थानीय पदाधिकारियों, ब्लॉक और सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनसंपर्क अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और गांवों तथा कस्बों में लोगों को रैली के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने कहा कि

रैली में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रत्येक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने सभी टीमों को सतर्क रहते हुए आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। बैठक के समापन पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राजीव सैन ने पार्टी व पार्टी नेताओं के नारे भी लगवाए। कार्यकर्ताओं ने रैली को सफल बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी कर ली जाएंगी।

इस मौके पर बरेली कोर्डिनेटर रेखा गुप्ता, नसीम खान, संजीव शर्मा, धर्मेन्द्र तोमर, रामलाल कश्यप, मास्टर महबूब, राघवेंद्र, प्रियंका, अंजू देवी, आशु पंडित, पवन कश्यप, अरविन्द कश्यप, सलमान त्यागी, दुश्यंत, ब्रजपाल कश्यप, वाहिद, उबेदुल्ला, गौरव ढाका, विपिन, राहत आदि उपस्थित रहे।

कोशिश करो

तैयार रहो

सेवा करो

श्रीराम बाजपेयी स्काउट-गाइड एसोसिएशन

पंजीकरण संख्या- S/703/2014-दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2014, संपूर्ण भारतवर्ष
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्काउट्स-गाइड्स जर्मनी से भी संबंध
प्रधान कार्यालय: निर्भय एनक्लेव, खेकड़ा (बागपत) उ.प्र. पिन-250101
Email:- subhashchand4@gmail.com, Mob- 09837749557- 0931242244



संपूर्ण भारतवर्ष में श्रीराम बाजपेयी स्काउट-गाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, स्काउट-गाइड प्रशिक्षण कैंप, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सिलाई सेंटर हेतु संपर्क करें।
स्काउट गाइड संस्थाओं NCC, NSS से जुड़े भाई-बहनो जुड़ने को प्राथमिकता।
(सुभाष चंद कश्यप, राष्ट्रीय महासचिव, श्रीराम बाजपेयी स्काउट गाइड एसोसिएशन)

बागपत कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रूबी कश्यप ने एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी की

अंकित कुमार, बागपत/खेकड़ा। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया चलाई जा रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और सभी जानकारी सही ढंग से दर्ज की जाए। कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी लगातार बैठकों और समीक्षा में जुटे हैं।

बागपत कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रूबी कश्यप ने खेकड़ा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय बूथ लेवल अधिकारियों के साथ पार्टी की और से एसआईआर प्रक्रिया की प्रगति, सत्यापन और अब तक दर्ज की गई जानकारी की विस्तृत जानकारी की।

उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम गलती से सूची से न हटे। उन्होंने सभी परिवारों के सही सत्यापन, दस्तावेजों में त्रुटियों की



अनुपस्थिति और किसी भी व्यक्ति को अनुचित रूप से अपात्र घोषित न किए जाने के बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया। स्थानीय निवासियों से भी बातचीत की और उन्हें इस प्रक्रिया के महत्व के बारे में जागरूक किया। लोगों को सलाह दी कि यदि उनके दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि है, तो उसे तुरंत बीएलओ के माध्यम से ठीक करवाएं,

ताकि भविष्य में कोई बाधा न आए।

उन्होंने जिलाध्यक्ष लव कश्यप की और से बताया कि पार्टी का लक्ष्य है कि किसी भी नागरिक के अधिकारों से समझौता न हो और प्रत्येक पात्र व्यक्ति सरकारी सूची में शामिल रहे। कांग्रेस कार्यकर्ता क्षेत्र में सक्रिय हैं। जो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जनता को सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

ठंड बढ़ते ही सक्रिय हुए नगर निकाय, शुरू हुई अलाव व्यवस्था

न्यूनतम तापमान में गिरावट

नितिन कुमार सिंह, 7.12, बागपत। जनपद में ठंड का असर लगातार गहराता जा रहा है। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट और सुबह-शाम की तेज ठिठुरन को देखते हुए जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निकायों ने अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी है। यह कदम उन जरूरतमंदों और राहगीरों के लिए राहतकारी साबित हो रहा है, जिन्हें देर रात या सुबह के समय खुले स्थानों पर ठंड का सामना करना पड़ता है।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार नगर पालिका बागपत, बड़ौत और खेकड़ा

सहित नगर पंचायतों ने प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, सब्जी मंडियों, बाजार क्षेत्रों, सामुदायिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अलाव जलाने की व्यवस्था की है।

रिक्शा चालकों, श्रमिकों, दुकान बंद करने के बाद लौटने वाले लोगों और बस-स्टैंड पर रात गुजारने वालों के लिए यह बेहद उपयोगी है। कई वृद्धजन भी देर शाम के समय अलाव के आसपास बैठते दिखाई दिए। ठंड का प्रकोप बढ़ने पर अलाव बिंदुओं की संख्या में वृद्धि की जाएगी और नियमित निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड से परेशान न हो।



अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी

सभी क्षेत्रवासियों को

नव वर्ष 2026

की हार्दिक

शुभकामना

रूबी कश्यप

जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बागपत

पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2019 व 2024



श्री लव कश्यप
जिलाध्यक्ष जनपद-बागपत



सम्पादकीय.....

लोकसभा में वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर एक खास चर्चा शुरू हो रही

सोमवार से लोकसभा में वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर एक खास चर्चा शुरू हो रही है। यह बहस सिर्फ एक रस्मी कार्यक्रम नहीं, बल्कि ऐसे समय में हो रही है जब इस गीत को लेकर राजनीति फिर गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस की शुरुआत करेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे खत्म करेंगे। करीब 10 घंटे चलने वाली इस चर्चा के बाद अगले दिन राज्यसभा में भी बहस होगी, जिसकी शुरुआत अमित शाह करेंगे।

पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम् के जरूरी हिस्से हटा दिए और यही कदम विभाजन के बीज बोने जैसा था। उनका आरोप था कि गीत को टुकड़ों में बांटकर इसकी मूल भावना कमजोर कर दी गई।

कांग्रेस ने तुरंत जवाब देते हुए गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, रजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और सरोजिनी नायडू की मौजूदगी वाले कार्यसमिति के फैसले का हवाला दिया। पार्टी का कहना है कि 1937 में सिर्फ पहले दो पद इसलिए चुने गए क्योंकि बाकी पदों में धार्मिक प्रतीक थे, जिनसे कुछ लोग असहमत थे।

यह फैसला किसी विभाजन के लिए नहीं, बल्कि सभी समुदायों की भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया था। पीएम पर इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने और मौजूदा मुद्दों से ध्यान हटाने का आरोप भी लगाया।

वंदे मातरम् की रचना बैंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने करीब 1875 के आसपास की थी। बाद में 1881 में यह उनके उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ। जो भारत माता के रूप में दिखाया गया, एक ऐसी भूमि जो कभी शक्तिशाली थी, अब पीड़ित है और फिर एक दिन मजबूत होकर उठेगी। बाद के आलोचकों ने कहा कि गीत के कुछ हिस्सों में देवी-प्रतिमा जैसा चित्रण है, जो सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता।

1905 में बंगाल विभाजन के दौरान यह गीत आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा नारा बन गया। स्वदेशी आंदोलन, विरोध मार्च, अखबारहर जगह वंदे मातरम् गूंजता था। 1906 में बारिसाल में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस नारे के साथ मार्च कर रहे थे उस समय इसकी अपील साम्प्रदायिक नहीं, बल्कि देशभक्ति की प्रतीक थी।

इस नारे को लोकप्रिय बनाने वालों में रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो शामिल थे। ब्रिटिश सरकार इससे इतनी परेशान हुई कि जगह-जगह इसे बोलने पर पाबंदियां लगाई गईं।

कांग्रेस विचार विभाग के राष्ट्रीय महासचिव रघुनंदन त्यागी ने मास्टर महबूब को जिलाध्यक्ष कांग्रेस विचार विभाग बागपत की जिम्मेदारी दी



नितिन कुमार सिंह, 6.12, बागपत/रटौल। कस्बा रटौल में कांग्रेस विचार विभाग के राष्ट्रीय महासचिव रघुनंदन त्यागी ने सभासद मास्टर महबूब को जिलाध्यक्ष कांग्रेस विचार विभाग बागपत की जिम्मेदारी दी। कार्यक्रम के पश्चात कांग्रेस विचार विभाग के राष्ट्रीय महासचिव रघुनंदन त्यागी ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर बीजेपी की जनविरोधी नीतियों पर जमकर प्रहार भी किया।

बागपत कांग्रेस जिलाध्यक्ष लव कश्यप ने राहुल गाँधी के नेतृत्व में 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में जाने लिए अभी से तैयारी करने का आवाहन किया और बागपत जनपद के मवीकलां टोल से एक साथ चलने की जानकारी दी।

कांग्रेस विचार विभाग द्वारा मास्टर महबूब सभासद को जिलाध्यक्ष विचार विभाग बागपत बनाए जाने पर कस्बा वासियों ने उनका स्वागत व अभिनंदन कार्यक्रम किया। जिसमें सैकड़ों की संख्या में कस्बा वासियों ने महबूब सभासद का फूलमाला से स्वागत किया।



मास्टर महबूब जिलाध्यक्ष कांग्रेस विचार विभाग बागपत ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास किया है मे उस पर खरा उतरकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और सभी समाज के लोगो को पार्टी में जोड़ने का काम करूंगा।

युवा कांग्रेस नेता फैज महमूद ने भी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार को देश की सबसे कमजोर सरकार भी बताया।

रटौल नगर अध्यक्ष निजारत तोमर ने कहा कि भाजपा ने देश में ऐसे हालत पैदा कर दिए कि जो भाजपा को वोट देने की बात नहीं करेगा। उसे भाजपा के परदे के पीछे भाजपा को सपोर्ट करने वाले परेशान करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा देश को हिन्दू मुस्लिम में बांटकर देश पर राज करना चाहती है। लेकिन अब देश जाग रहा है। देश की जनता अब भाजपा के मंसूबों को समझ चुकी है। अब देश की जनता किसी भी कीमत पर हिन्दू मुस्लिम में नहीं बटेगी। अब भाजपा के मनसूबों को देश की जनता कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने

कि 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड की महारैली भाजपा सरकार का निर्णायक फैसला करेगी।

इस अवसर पर युवा कांग्रेस नेता फैज महमूद, रटौल नगर अध्यक्ष और सभासद-सभासद अध्यक्ष निजारत तोमर, ब्लॉक अध्यक्ष सुनील त्यागी, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव ढाका, कांग्रेस नगर उपाध्यक्ष जुगनू चौधरी, नोमन, नौशाद, बाबू, आस मोहम्मद, जावेद, खालिद, वाहिद, जमील, उबैदुल्ला एडवोकेट, आमिर तोमर, वाहिद, जुगनू, काशिफ, आवेश, नौमान, सहित आदि सैकड़ों कस्बावासी एवं वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

केशरी दर्पण समाचार पत्र के ऑनलाइन पत्रकार बने।

www.kesharidarpan.com

पर रजिस्टर/लॉगिन करे।

KD सम्पादक सुभाष चंद
9837749557

एस.एम. कॉलेज चंदौसी प्रबंधन पर चला पिछड़ा वर्ग आयोग का हंटर, प्रबंधन को भंग कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की भी संस्तुति की विधिक कार्यवाही तथा नियमानुसार देय वेतन का भी तत्काल प्रभाव से नियमित भुगतान करने के भी आदेश दिए

सुरजीत कुमार, संभल/चंदौसी। डॉ प्रवीण कुमार प्रोफेसर एस.एम.कॉलेज, चंदौसी, ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि एस.एम.कॉलेज, चंदौसी (संभल) के प्रबंधन, प्राचार्य, सचिव की शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के संदर्भ में विश्वविद्यालय में की जा रही सुनवाई में प्रबंध समिति के असहयोगात्मक स्वेच्छाचारिता, मनमाना रवैया आदि के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 58 के अंतर्गत महाविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने हेतु प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने व विधिक कार्रवाई करने तथा शिकायतकर्ता डॉ. प्रवीण कुमार, प्रोफेसर-वाणिज्य एस.एम.कॉलेज, चंदौसी की अनियमित रूप से की गई बर्खास्तगी व निलंबन को विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर बहाल किये जाने के उपरान्त निलंबन की तिथि से नियमानुसार देय वेतन धनराशि का तत्काल प्रभाव से एवं नियमित भुगतान करने के आदेश उ.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, लखनऊ द्वारा दिए गए हैं।

आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रमुख सचिव-उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ; शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज; कुलपति-गुरु

जंभेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद; क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली-मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली; जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक-जिला संभल को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संस्तुति की गई है।

आयोग ने उक्त सभी को यह भी आदेशित किया गया है कि 15 दिन के अंदर आयोग को संदर्भित प्रकरण में कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

डॉ प्रवीण की शिकायत पर, उ.प. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष मा. सूर्य प्रकाश पाल की न्यायपीठ में सुनवाई हुई थी। व्यापक सुनवाई एवं गहन जांच के उपरांत 25.8.25 को यह निर्णय लिया जो 4.12.25 को जारी किया गया।

स्मरण रहे कि महाविद्यालय प्रबंधन एवं कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. हेमंत कुमार आदि द्वारा डॉ. प्रवीण के महाविद्यालय में प्रवेश पर गैर-कानूनी एवं अवैधानिक रूप से प्रवेश को प्रतिबंधित किया हुआ है। प्रबंधन/प्राचार्य/सचिव द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश का न तो खुद अनुपालन किया जा रहा है और न ही प्रार्थी को आदेश के अनुपालन हेतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन ही करने दिया जा रहा है। बल्कि शिकायतकर्ता अपने कर्तव्य का अनुपालन करने हेतु महाविद्यालय जाता है, तो अनुसूचित जाति की महिलाओं व अन्य

स्टाफ से मारपीट गाली-गलौच आदि जैसे गैर कानूनी कृत्य आदि करारकर उल्टे शिकायतकर्ता डॉ. प्रवीण के खिलाफ ही पुलिस में मुकदमा दर्ज करने, महिला आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग आदि जगहों पर झूठी शिकायत भेज कर जेल भिजवाने हेतु कार्रवाई की जाती है।

आयोग ने माना है कि इससे प्रबंधन/प्रबंधक/सचिव तथा प्राचार्य एस.एम. कॉलेज, चंदौसी की मनमानी व स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित होती है।

इस प्रकरण में पुलिस विभाग द्वारा की गई जांच में 9.03.25 को अंतिम रिपोर्ट संख्या-42/25 में जुर्म खारिजा रिपोर्ट प्रेषित कर विवेचना समाप्त कर दी गई थी। पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा पुनः विवेचना करते हुए निर्देशित किया। जिसके क्रम में विवेचक द्वारा 28.4.25 को पूर्व किता अंतिम रिपोर्ट मय जुर्म खारिजा का समर्थन करते हुए विवेचना समाप्त की गई।

आयोग ने माना है कि शिकायतकर्ता डॉ. प्रवीण के खिलाफ साजिशान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया और आरोप सिद्ध नहीं हुए।

आयोग द्वारा पत्रावली में दाखिल पत्र/प्रतियों/पत्रजातों का आयोग द्वारा परीशीलन किया गया। प्रबंधन/प्राचार्य/सचिव एस.एम. कॉलेज, चंदौसी, जनपद-

संभल के द्वारा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ.प्र. शासन, लखनऊ शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज, कुलपति गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली के स्पष्ट आदेशों का न तो अनुपालन किया जा रहा है और न ही पीड़ित को आदेशों के अनुपालन हेतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने दिया जा रहा है।

आयोग ने डॉ. प्रवीण के घोर मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक उत्पीड़न की पुष्टि को माना है। सुनवाई के दौरान श्री शांतनु कुमार एवं डॉ. हेमंत कुमार द्वारा प्रकरण की आयोग में प्रचलित सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने, अपेक्षित सहयोग प्रदान न करने तथा नियमानुसार पीड़ित को देय वेतन का भुगतान न करने विधि विरुद्ध महाविद्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित करने, उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर न करने देने, शिक्षा निदेशक-उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्गत शासनादेश का निरादर करने, उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम- 1973 के सुसंगत प्रावधानों का उल्लंघन करने, पुलिस एवं प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जांच के उपरांत दी गई दोष मुक्त रिपोर्ट के उपरांत भी शिकायतकर्ता को नियमानुसार कोई भी राहत न देने एवं आदि तथ्य विचारणीय

माने गए हैं।

गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा भी उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 एवं सुसंगत शासनादेशों के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए की गई जांच सुनवाई के अंतर्गत दिनांक 30.4.25 को निर्गत कार्यालय आदेश के माध्यम से कॉलेज सचिव के द्वारा किए गए निलंबन/बर्खास्तगी आदेश को शून्य/निष्प्रभावी घोषित कर स्थगित कर डॉ. प्रवीण कुमार को महाविद्यालय में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आदेश/निर्देश दिया गया था। इन आदेशों का भी प्रबंधन/प्राचार्य/सचिव द्वारा ने तो खुद पालन किया और न ही प्रोफेसर डॉ. प्रवीण कुमार को पालन करने दिया।

महाविद्यालय प्रबंधन की हठधर्मिता, निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता, असहयोगात्मक रवैया तथा महाविद्यालय में शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने आदि को दृष्टि में रखते हुए विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा निदेशक, तथा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा महाविद्यालय के प्रबंधन के खिलाफ धारा 58 की कार्रवाई करते हुए भंग कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की संस्तुति की जा चुकी है। अब देखना यह है कि पीड़ितों को न्याय कब मिल पाता है।

नोट: पत्र में छपे लेख, लेखकों के निजी विचार हैं, सम्पादक का इन लेखकों के विचारों से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बागपत होगा।

RNI. No. UPHIN/2010/36806, मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुभाष चन्द ने इण्डियन प्रेस, राजेन्द्र नगर, मेरठ से छपवाकर कार्यालय ग्राम वाजिदपुर, पोस्ट तहसील बडौत, जिला बागपत से प्रकाशित किया। सम्पादक: सुभाष चन्द, मो. 9837749557, प्रबन्धक सम्पादक: डा. प्रवीण कुमार, (किसी भी विवाद के लिए बागपत न्यायालय मान्य)